



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-244/2021

दिनांक : 15.12.2021

परिपत्र

देश में कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों/शोधार्थियों से अनुरोध है कि कोविड उचित व्यवहार (जैसे मास्क पहना, हाथों को साफ धोना, सामाजिक दूरी का पालन करना आदि) का पालन करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
15/12/21

प्रति (ईमेल द्वारा) :

समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मों, अधिकारी, विद्यार्थी/शोधार्थी

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. संबंधित पत्रावली